तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
17/3/26	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रपक्ष उपस्थित। प्रार्थी द्वारा फर्द दस्तावेज पेश, शाब्दिक बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 21/04/26 को पेश हो। [signature] 17/03/26
21/4/26	पत्रावली पेश हुई / वकील अप्रपक्ष उपस्थित / पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 22/5/26 को पेश हो। [signature]
22/05/26	पत्रावली पेश हुई / वकील अप्रपक्ष उपस्थित / बहस प्रा०पत्र के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया / ग्राम डुबालिया की वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी 1 की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है / वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 को कलावती बाई के फौत होने पर उनके पुत्र (मृतक) लक्ष्मीनारायण के वारिसान के रूप मे विरासत मे प्राप्त हुई थी / प्रार्थीगण ने प्रा० पत्र के पैरा नं० 3,4 व 5 मे स्वयं स्वीकार किया है कि अप्रार्थी 1 प्रार्थीगण की सौतेली माता और मृतक लक्ष्मीनारायण की पत्नि है / पति की मृत्यु (निर्वसीयत) के बाद उसकी संपत्ति मे प्रत्येक महिला (हिन्दू) को भी हक व अधिकार निहित होते है, भले ही उसने तलाक ले लिया हो या दूसरी शादी कर ली हो / अप्रार्थी 1 का नाम मृतक पति लक्ष्मीनारायण के भाग पर विधिक रूप से दर्ज होना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला झालावाड़

हुक्म या कार्यवाही

जाहिर होता है / यह है कि ग्रामवासी मे एक सहखातेदार को स्थगन जारी [illegible] क्योकि संयुक्त खाते Co-tenants का [illegible] व अधिकार निहित [illegible] बंटवारे हेतु writ[illegible] हो / अतः प्र[illegible] संतुलन दोनो [illegible] नही है /

2. उपरोक्त [illegible] आधार पर - प्रा[illegible] Act r/w O. 39 [illegible] प्रकरण फैसल[illegible] मूलवाद के [illegible]

न्यायालय उपखण्ड [illegible] जिला झा[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	जाहिर होता है। यह सुस्थापित विधिक सिद्धान्त है कि शामलाती (संयुक्त हिंदू परिवार) भूमि में एक सहखातेदार के विरुद्ध अन्य co-tenants को स्थगन जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि संयुक्त खाते की आराजी में प्रत्येक co-tenants का प्रत्येक भाग पर समान हक व अधिकार निहित होता है, बशर्ते की उनके बंटवारे हेतु written family settlement नहीं हुआ हो। अतः प्रकरण प्रथम दृष्ट्या, सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है।	
	2. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा०पत्र u/s 212 RT Act r/w O. 39 R1&2 C खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।	
	22/5/26 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़